न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 06/2024 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये विकांत मथुरिया प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा	बनाम	1. सांवरमल तेली पुत्र कालूलाल निवासी दांता लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी की ओर से स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 21.11.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 26.09.2024 को ग्राम लुहारिया तहसील माण्डल स्थित देवनारायण किराणा स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया। तो मौके पर दुकान मालिक सांवरमल तेली पुत्र कालूलाल उपस्थित मिला। उसने कहा कि वह वाहन में घरेलु गैर सिलेण्डर की रिफलिंग करता हैं। मौके पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मशीन मिले। विपक्षी से इस संबंध में कागजात के लिए पूछा गया तो उन्होंनें कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया। इस प्रकार आरोपी सांवरमल तेली पुत्र कालूलाल द्वारा घरेलू सिलेण्डर काएल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन हैं कि जब्तशुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.10.2024 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी स्वंय उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि निरीक्षण के दौरान आरोपी सांवरमल तेली पुत्र कालूलाल द्वारा घरेलू सिलेण्डर का एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन हैं कि जब्तशुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि प्रथम गलती मानते हुये प्रकरण में माफी प्रदान करावें। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जावे।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा